संख्या-8/2015/432/62-1-2015-1109/2014

प्रेषक,

भरत लाल राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 10 अप्रैल, 2015

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में भूगर्भ जल विभाग के लिए प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1261जी/भू0ज0वि0/बी-1/डब्लू, दिनांक 31 मार्च,2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च,2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत भूगर्भ जल के कार्यक्रम की आयोजनेत्तर पक्ष में चालू योजनाओं हेतु अन्य व्यय (अधिष्ठान) की मदों में प्राविधानित धनराशि रू0 510306 हजार (रूपये इक्यावन करोड तीन लाख छः हजार मात्र) में से मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1000 हजार को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 509306 हजार (रूपया पचास करोड. तिरानवे लाख छः हजार मात्र) व्यय हेतु संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीक़ति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त समस्त धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,उ0प्र0शासन के उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/ बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च,2015में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधिानों/शासनादेशों का अनुपालन अक्षरशः अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

(2) उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत भूगर्भ जल कार्यक्रम की चालू योजनाओं में अन्य व्यय (अधिष्ठान) की मदों में व्यय हेतु है । अवमुक्त धनराशि को किसी से मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक सीमित रखा जाय । व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

(3) मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी । तदनुसार औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय ।

(4) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय हेतु समय-समय पर शासन द्वारा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्गत आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(5) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण मुख्य, लघु उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अवश्य अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनेत्तर शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि को यथाशीघ्र खण्डीय अधिकारियों को आवंटित करते हुए शासन को भी अवगत कराया जाय ।

(6) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0 बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 के अधीन ''लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-02-भूजल-005-अन्वेषण-03-भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढीकरण में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-231/ 2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं ।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

ह0/-

(भरत लाल राय)

विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/2015/432(1)/62-1-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनु0-2, उ0प्र0शासन।

4- वित्त (आय-व्ययक), अनु0-1, उ0प्र0शासन।

5- निदेशक, सूचना।

6- एन0आई0सी0 की प्रति।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(ओम नारायण अहिरवार)

अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 8/2015/432/62-1-2015-1109/2014, दिनांक 10 अप्रैल,2015 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 मुख्य शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-02-भूजल-005-अन्वेषण-03-भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास आंकलन एवं सदृढीकरण में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का विवरण ।

(धनराशि हजार रू0 में)

क्रं0 सं0	कोड	मानक मद	बजट प्राविधान 2015-16	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वापली धनराशि
1	2	3	4	5
1	01	वेतन	213696	213696
2	02	मजदूरी	7210	7210
3	03	महगाई भत्ता	256435	256435
4	04	यात्रा व्यय	1000	1000
5	05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	400	400
6	06	अन्य भत्ते	21370	21370
7	08	कार्यालय व्यय	750	750
8	09	विदयुत देय	800	800
9	10	जलकर/जल प्रभार	10	10
10	11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	100	100
11	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300	300
12	13	टेलीफोन पर व्यय	250	250
13	14	मोटर गाडियों का क्रय	1000	-
14	15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	720	720
15	16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	220	220
16	17	किराया,उपशुल्क और कर-स्वामित्व	2000	2000
17	19	विज्ञापन विक्री एवं विख्यापन व्यय	10	10
18	29	अनुरक्षण	300	300
19	42	अन्य व्यय	100	100
20	44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50	50
21	45	अवकाश यात्रा व्यय	200	200
22	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	10	10
23	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण्/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	350	350
24	49	चिकित्सा व्यय	3000	3000
15	51	वर्दी व्यय	25	25
		योग-	510306	509306

(रूपया पचास करोड तिरानवे लाख छः हजार मात्र)

ह0/- (ओम नारायण अहिरवार)

अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in